छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 312 प्रकरण क्रमांक– **M-COM-2021-01571**

आवेदक : छ.ग. रेरा विरूद्ध ''सेलेब्रिटी होम्स'' प्रमोटर–सेलेब होम्स प्रा.लि., द्वारा–श्री आदित्य जैन, पता–चतुर्थ तल, रवि भवन, जयस्तंभ चौंक, जिला–रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''सेलेब्रिटी होम्स'' पता–हीरापुर, जरवाय जिला–रायपुर (छ.ग)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
30/07/2025	– प्रकरण प्रस्तुत । – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''सेलेब्रिटी होम्स'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA120319000938** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 12.03.2019 पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11(1)(ई) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति व वार्षिक लेखा रिपोर्ट रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22/ रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों एवं प्राधिकरण के निर्देशों का अवहेलना करते हुये ऊपर वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक अद्यतन प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अब तक अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 25.11.2021 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन जून, 2019 तक प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा वार्षिक विवरण रिपोर्ट वर्ष 2019–2020 अपलोड किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है तथा समक्ष प्राधिकारी से दिनाँक 22.05.2019 को प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। अनावेदक द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 312 प्रकरण क्रमांक– **M-COM-2021-01571**

आवेदक : छ.ग. रेरा विरूद्ध ''सेलेब्रिटी होम्स'' प्रमोटर–सेलेब होम्स प्रा.लि., द्वारा–श्री आदित्य जैन, पता–चतुर्थ तल, रवि भवन, जयस्तंभ चौंक, जिला–रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''सेलेब्रिटी होम्स'' पता–हीरापुर, जरवाय जिला–रायपुर (छ.ग)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य	